न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (UID No. RJ 00152)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

(01) फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 288/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 87/2026, आरक्षी केन्द्र समदड़ी
CNR : RJBA010008922026

गिरीराजसिंह पुत्र श्रवणसिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी ढीढस, पुलिस थाना समदड़ी, जिला बालोतरा।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

(02) फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 289/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 87/2026, आरक्षी केन्द्र समदड़ी
CNR : RJBA010008932026

01. रामचन्द्र पुत्र हरसुखराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुलिस थाना भेड़, पुलिस थाना पांचोड़ी, जिला नागौर ।
02. जितेन्द्र उर्फ जीतु पुत्र सुरताराम, उम्र 20 वर्ष, निवासी नेतड़ा, पुलिस थाना करवड़ा, जिला जोधपुर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

(03) फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 293/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 87/2026, आरक्षी केन्द्र समदड़ी
CNR : RJBA010008972026

सकिर पुत्र नासिर, उम्र 39 वर्ष, निवासी पश्राली, पुलिस थाना फिरोजपुर झीरका, जिला नुह, हरियाणा ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

(04) फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 295/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 87/2026, आरक्षी केन्द्र समदड़ी
CNR : RJBA010008992026

राकेश पुत्र मंशाराम, उम्र 27 वर्ष, निवासी गजेसिंहपुरा, पुलिस थाना आसोप, जिला जोधपुर ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/2026, पुलिस थाना समदड़ी, अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 61(2), 112(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 व धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री महावीर मेघवाल, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त राकेश की ओर से ।
2. श्री दिलीपसिंह भाटी, विद्वान अधिवक्ता, दीगर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से ।
3. श्री नेमाराम चौधरी, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– <u>आदेश</u> ––

दिनांक : 06.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से पृथक–पृथक रूप से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. चारों प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने से सुविधा की दृष्टि से चारों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस एक आदेश द्वारा साथ किया जा रहा है ।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में झूँठा संलिप्त किया है । आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है । प्रार्थी सकिर दिनांक 03.06.2026 व अन्य प्रार्थीगण दिनांक 01.06.2026 से अभिरक्षा में हैं । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध अवैध बजरी खनन के अपराध का आरोप है । वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा एक बहुत बड़ा वर्ग बजरी माफिया के रूप में पनपकर इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है । अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

Sr. No.	FIR No. & P.S.	Case No.	Section	Date	Status	Date of Arrest	Release on any previous occasion (If any)
–	NIL	–	-	-	–	–	–

6. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ संगठित होकर आपराधिक षड़यंत्र के तहत अवैध बजरी खनन व चोरी के अपराध का आरोप है । अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में अन्य कोई प्रकरण दर्ज या लंबित होना नहीं बताया है । प्रार्थी सकिर दिनांक 03.06.2026 व अन्य प्रार्थीगण दिनांक 01.06.2026 से अभिरक्षा में हैं । आरोपित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित है । प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है । अतः इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किए जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उनकी उपस्थिति बाबत् अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये की मौतबीर जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए । आदेश की एक–एक प्रति चारों फौजदारी विविध पत्रावलियों में रखी जावे ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

8. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

I checked all the documents are right.
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Location: Balotra
Date: 2026.06.06 10:54:29 +0530